

न्यायालय:-अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

(समक्ष:-डी०सी० थपलियाल)

प्र०क्र० 153/13 सत्रवाद

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला

भिण्ड मध्य प्रदेशअभियोजन

बनाम

दशरथ माहोर पुत्र निरोतम माहोर, उम्र 22 वर्ष निवासी

सोंधा पुलिस थाना गोरमी जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथमश्रेणी गोहद श्री केशवसिंह
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क्र० 346/13 से उद्भूत
यह सत्र प्रकरण क्रमांक 153/2013

राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक
आरोप की ओर से श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 27-2-2015 को घोषित किया गया)

01. आरोपी का विचारण धारा 363,366 भा०द०सं० के अपराध के आरोप में संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 10-12-12 को दो बजे दिन में नूरगंज गोहद जिला भिण्ड में अभियोक्त्री जो कि रशीदखां की पुत्री होकर 18 वर्ष से कम उम्र की थी, उसे उसके माता पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता से उनकी सहमति के बिना ले जाकर उसका व्यपहरण किया। उस पर यह भी आरोपी है कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त अभियोक्त्री का व्यपहरण उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता से इस आशय से किया उसे विवाह करने के लिए विवश किया जा सके या यह संभाव्य जानते हुये कि अयुक्त संभोग करने के लिये उसे विलुब्ध व विवश किया जा सके।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 10-12-12 को सूचनाकर्ता रसीद खाँ के द्वारा थाना गोहद में इस आशय की सूचना दी कि उसकी पुत्री जो कि 14 वर्ष की उम्र की है अपने माँ से सब्जी लेने की बोलकर दिन के दो बजे बाजार गई थी, किन्तु वह लौटकर नहीं आई है उसने उसकी खोजबीन की किन्तु वह नहीं मिली है। उक्त सूचना पर से गुमशुदगी कायम कराई थी। लडकी के संबंध में पता चलने पर कि ग्राम

सोंधा का दशरथ कोरी जो कि अहमदावाद गुजरात में नौकरी करता है वह उसकी बच्ची को ले गया है तो उसने अपने लडके नवी को अहमदावाद भेजा था। नवी उसकी पुत्री को वापिस लेकर गोहद आ गया तब उसकी लडकी ने बताया कि उसे दशरथ पुत्र निरोत्तम कोरी (माहोर) निवासी सोंधा थाना मेहगांव जो अपनी बहन के यहां सोंधा आता जाता था उसकी बेटी को अच्छी जिन्दगी का वहाना देकर बहला फुसलाकर अहमदावाद ले गया था। इस संबंध में पुलिस थाना गोहद में लेखीय आवेदनपत्र लडकी के अहमदाबाद से आने के उपरांत उसके पिता रसीद खों के द्वारा दिया गया। जिस पर से पुलिस थाना गोहद के द्वारा जांच की गई। जांच में पाया गया कि आरोपी दशरथ माहोर के द्वारा व्यपहृता को बहला फुसलाकर शादी करने के आशय से भगाकर ले गया था। इस आधार पर थाना गोहद में प्रथम सूचना क्रमांक 6/13 धारा 363,366 भा0द0सं0 का पंजीबद्ध किया गया। व्यपहृता की दस्तयाबी की गई। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए तथा फरियादी के पुत्र नवी खों के पेश करने पर एक राशनकार्ड पूरक परिवार का जप्त की जप्ती गई। घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया, व्यपहृता का चिकित्सीय प्रतिवेदन प्राप्त किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार उर्पापण उपरांत इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. आरोपी को धारा 363,366 भा0द0सं0 के अपराध के लिये आरोप लगाये जाने पर पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोप से इंकार किया उनकी प्ली रिकार्ड की गई।

04. आरोपी का धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत आरोपी परीक्षण किया गया। आरोपी परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोश होना तथा झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया। बचाव में बचाव पक्ष के द्वारा रेडियोलॉजिस्ट जिला चिकित्सालय भिण्ड डॉ0 आर0के0सिंह जिनके द्वारा व्यपहृता की उम्र के संबंध में जांच की गई है के कथन कराए हैं।

05. प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न प्रश्न विचारणीय हैं:-

- 1- क्या दिनांक 10-12-12 को दो बजे दिन में नूरगंज गोहद में जिला भिण्ड में अभियोक्त्री जिसकी कि उम्र 18 वर्ष से कम थी का व्यपहरण उसके माता पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता के उनकी सहमति के बिना ले जाकर उसका व्यपहरण किया ?
- 2- क्या उपरोक्त, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त नाबालिक अभियोक्त्री का व्यपहरण/अपहरण उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता से इस आशय से किया आपसे विवाह करने या यह संभाव्य जानते हुये कि अयुक्त संभोग करने के लिये उसे विलुब्ध व विवश किया जा सकता है ?

::— निष्कर्ष के आधार—::

बिन्दु क्रमांक 1 व 2:-

06. धारा 363 भा०दं०वि० जो कि भारत से या विधिपूर्ण संरक्षिता से किसी व्यक्ति के व्यवहरण के संबंध में दण्ड का प्रावधान करता है। व्यवहरण को धारा 361 भा०दं०वि० के अंतर्गत विधिपूर्ण संरक्षिता को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार :-किसी अप्राप्तव्य को यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को और यदि वह नारी हो तो 18 वर्ष से कम आयु वाले को या विकृतचित्त व्यक्ति को। विधिपूर्ण संरक्षकता से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाया जाता है या बहलाकर ले जाया जाता है व धारा 366 भा०दं०वि० के अपराध की प्रमाणिकता हेतु किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उसे विवश या विलुब्ध करने के लिए किया जाना आवश्यक है।

07. इस प्रकार व्यवहरण का अपराध प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम अभियोजन को यह प्रमाणित करना होता है कि जिस अप्राप्तव्य का व्यपहरण किया जाना बताया जा रहा है वह महिला होने की दशा में 18 वर्ष से कम उम्र की हो। इस तथ्य को भी प्रमाणित करना होता है कि उस अप्राप्तव्य को उसकी विधिपूर्ण संरक्षिता से ले जाया गया है या उसे बहला फुसलाकर ले जाया गया है। जबकि धारा 366 भा०दं०वि० को प्रमाणित करने हेतु उक्त तत्वों के अतिरिक्त महिला को विवाह करने के लिए विवश करने अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए विवश व विलुब्ध किया जाना प्रमाणित कराना आवश्यक है।

08. वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है। प्रकरण में साक्षी राशिद खॉ अ०सा० 1 जो कि व्यपहृता का पिता है, उसके द्वारा थाना गोहद में गुमइंसान सूचना प्र.पी. 1 दिनांक 11.12.2012 को थाना गोहद में इस आशय की दर्ज कराई गई है कि उसकी पुत्री जो कि घर से शब्जी लेने के लिए अपनी माँ से कहकर गई थी वह लौटकर नहीं आई है और वह ढूँढने पर भी नहीं मिली। उक्त गुमइंसान सूचना में व्यपहृता की उम्र 14 वर्ष की होने का उल्लेख है। उक्त गुमइंसान सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 लेखबद्ध करना प्रधान आरक्षक लक्ष्मणसिंह अ०सा० 8 के द्वारा भी बताया गया है। उक्त गुमइंसान सूचना के पश्चात् दिनांक 09.01.2013 को फरियादी रशीद खॉ के द्वारा एक लिखित आवेदनपत्र पुलिस थाना गोहद को रिपोर्ट दर्ज की जाने बावत् दिया गया है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि उसकी पुत्री को आरोपी दशरथ अच्छी जिंदगी का बहाना देकर बहला फुसलाकर अहमदाबाद ले गया था जो कि बापस आ गई है। उसकी पुत्री कम उम्र की है और करीब 15 साल की है। इस संबंध में रिपोर्ट लिखकर

कार्यवाही करने का निवेदन किया है। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना गोहद के द्वारा दिनांक 09.01.2013 को आरोपी दशरथ माहौर के विरुद्ध अपराध की कायमी कर प्र.पी. 7 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई जो कि प्रधान आरक्षक लक्ष्मणसिंह अ0सा0 8 के द्वारा लेखबद्ध करना स्वीकार किया गया है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 7 में व्यपहृता की उम्र 15 साल की होने का उल्लेख है।

09. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षी रशीद खॉ अ0सा0 1 जो कि व्यपहृता का पिता है ने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि व्यपहृता उसकी लडकी है। घटना के समय उसकी उम्र 14 साल की थी। साक्ष्य कथन दिनांक 23.04.2014 से करीब एक साल पहले की 10 तारीख की घटना है। वह घटना दिनांक को अपने घर पर नहीं था मजदूरी करने गया था, शाम को जब पांच बजे अपने घर आया तो अपनी पत्नी बरकत से पूछा कि लडकी कहाँ तो उसने बताया कि गुड्डी और अनीता के उसे बाजार की कहकर लिवाकर ले गई है। उसने अपनी बेटी को ढूँढा और पता लगाया तो उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद उसने थाना गोहद में लडकी के गुम होने की सूचना दी थी जो गुमइंसान सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 उसके द्वारा लिखाई गई थी। साक्षी के द्वारा आगे यह भी बताया गया है कि करीब 13-14 दिन बाद उसकी लडकी का पता लगा कि लडकी गुजरात में आरोपी दशरथ के साथ में है फिर उसने अपने बड़े लडके नवी और अपने दामाद को अहमदाबाद भेजा जहाँ कि लडकी मिल गई थी, आरोपी भाग गया था फिर उसने लडकी को लेकर उसका लडका और दामाद आए थे और उसे थाने में लेकर आए थे। थाने में लेखीय आवेदनपत्र दिया था जो कि प्र.पी. 2 है। पुलिस के द्वारा थाने पर लाने के बाद लडकी का दस्तयाबी पंचनामा बनाया था जिस पर उसका अंगूठा निशान लगा हुआ है और लडकी उसे सुपुर्दगी पर दी थी जो सुपुर्दगीनामा प्र. पी. 4 है जिस पर उसका अंगूठा निशान लगा हुआ है। साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि उसकी लडकी जब लौटकर आई तो लडकी ने बताया था कि दशरथ उसे मुँह बंद कर के मार्सल गाडी में ले गया था।

10. उपरोक्त संबंध में घटना की व्यपहृता अ0सा0 2 ने अपने साक्ष्य कथन में आरोपी दशरथ को जानना पहिचानना बताते हुए यह बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी दशरथ की बहन अनीता उनके घर आई थी और उसने कहा था कि सब्जी लेने चलते हैं उसके साथ चली गई थी। सब्जी लेने बस स्टेण्ड पहुँचे जहाँ पर कि सब्जी की दुकान है, वहाँ पर एक मार्सल गाडी खडी थी जिसमें पांच लोग थे। दशरथ की दूसरी बहन गुड्डी ने आवाज दी कि यहाँ आया तो वह मार्सल गाडी के पास चली गई थी। आरोपी दशरथ उस समय गाडी में था उसने उसका मुँह पर रुमाल लगा दिया जिससे वह वेहोश हो गई और उक्त लोगों ने

उसे मार्शल गाडी में बिठा दिया और उसके बाद उसे आरोपी ले गए। उसे अहमदाबाद में होश आया था तब पता चला कि अहमदाबाद है। अहमदाबाद में जिस मकान को किराए पर लिया था उसमें आरोपी दशरथ की भाभी और उसका भाई भी रहता था। आरोपी दशरथ के चाचा को पता चला कि लडकी को भगाकर ले आया है तो उसने घर पर फोन लगाया कि लडकी यहाँ है। उसने भी घर पर सूचना देने की कोशिश की, लेकिन आरोपी किसी से बात नहीं करने देता था। अहमदाबाद में किराए के मकान में करीब 20 दिन तक रहे, इसके बाद उसका जीजा व उसका भाई उसे लेने आये थे तो आरोपी भाग गया था। उसके जीजा व भाई उसे बापस गोहद लेकर आए थे फिर थाने में गए थे। थाने में पुलिस को सारी बातें बताई थी। पुलिस ने लिखापट्टी कर दस्तयावी पंचनामा प्र.पी. 3 बनाया था और सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 4 भी बनाया था। उक्त साक्षिया के द्वारा यह बताया गया है कि जब आरोपी उसे लेकर गया था उस समय वह 15 साल की थी।

11. उपरोक्त बिन्दु पर अभियोजन साक्षी बरकत वानो अ0सा0 3 जो कि व्यपहृता की माँ है आरोपी को पहिचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि साक्ष्य दिनांक 24.04.14 से करीब एक साल पहले की बात है जिस समय उसकी लडकी गई थी उस समय लडकी की उम्र 16 साल की थी। घटना के समय संतोष नगर में उसका मकान बन रहा था, वह और उसका पति वहीं थे, लडकी किराए वाले मकान में थी। गुड्डी और अनीता उसकी लडकी को सब्जी लेने के वधाने से बुलाकर ले गई थी जो कि गुड्डी दशरथ की बहन और अनीता गुड्डी की देवरानी है। लडकी के गुमने के बाद उसे तलासा था, किन्तु वह नहीं मिली तब थाने में जाकर लडकी के गुमने की सूचना दी थी। लगभग एक महीने बाद उसे पता चला जो कि आरोपी दशरथ ने उनके घर पर फोन किया कि लडकी उसके पास अहमदाबाद में है फिर उसका लडका नवी और दामाद सत्तार दोनों अहमदाबाद गये थे वहाँ से लडकी को लेकर आए। लडकी ने उसे बताया था कि उसके मुँह पर कुछ डाल दिया था जिससे वह वेहोश हो गई थी और दशरथ उसे अहमदाबाद ले गया था और एक महीने रखा। आरोपी उसे शादी करने के लिए ले गया था। लडकी बापस आने के बाद थाने में गए थे।

12. अभियोजन साक्षी नवी खॉ अ0सा0 4 जो कि व्यपहृता का भाई है के द्वारा व्यपहृता की उम्र घटना के समय 14 वर्ष की होनी बताते हुए साक्षी बरकत वानो के समान कथन करते हुए बताया है कि उसकी बहन के अहमदाबाद में होन के संबंध में पता चला था और यह पता चला था कि दशरथ माहौर उसे ले गया है। उसके साथ अन्य व्यक्ति आँशू, पूरन, माखन और व्यापारी भी थे। अहमदाबाद में उसके चाचा रहते हैं वह अकेले अहमदाबाद गये थे और साथ में अपने चाचा को भी लिया था तो उन्होंने देखा कि व्यपहृता एक कमरे में

बंद थी जहाँ वह अकेली थी फिर अहमदाबाद में पुलिस स्टेशन गया था और पुलिस उसके साथ आई थी और व्यपहृता को उसके सुपुर्द किया था। फिर वह उसे लेकर घर आया था और थाने में ले गया था। व्यपहृता ने उसे बताया था कि उसे वेहाशे कर के बाजार में गाड़ी में डालकर ले गए थे और उसे कुछ खाने के लिए और सूघने के लिए दिया था। पुलिस ने राशनकार्ड की जप्ती कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 5 बनाया था। दस्तायावी पंचनामा प्र.पी. 3, सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 4 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13. अभियोजन साक्षी सत्तार खॉ जो कि व्यपहृता का जीजा है के द्वारा घटना के समय व्यपहृता की उम्र 17 वर्ष की होनी बताई है। साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि करीब डेढ़ साल व्यपहृता को गुम हो गए थी। यद्यपि उसे उसके अहमदाबाद में होने के संबंध में पता चला था फिर वह और नूरमोहम्मद अहमदाबाद प्रेम नगर पहुँचे वहाँ उनके कमरे पर गया कमरे में व्यपहृता अकेली मिली थी आरोपी भाग गया था। फिर पुलिस उनके बुलाने पर आई थी और उसे लेकर आया था और व्यपहृता ने उसे बताया था कि उसे गोली खिलाकर वेहोश कर बेइज्जित करने के लिए ले गया था। इस संबंध में अभियोजन साक्षी नूर खॉ अ०सा० 6 जो कि व्यपहृता की बुआ का लडका है के द्वारा घटना के समय व्यपहृता की उम्र 17-18 साल की होनी बताई है। साक्षी ने यह भी बताया है कि व्यपहृता के गुम होने के दो दिन बाद उसे सूचना मिली थी कि उसे वेहोश कर दशरथ अहमदाबाद ले गया है और वहीं रख हुए हैं फिर वह सत्तार, रसीद और नवी अहमदाबाद पहुँचे वहाँ विद्यानगर में एक कमरे में उसका पता चला था। आरोपी व अन्य लोग भाग गए थे फिर लडकी को वहाँ से ले आये थे।

14. अभियोजन साक्षी प्र.आर. लक्ष्मणसिंह अ०सा० 8 जिनके द्वारा गुमइंसान रिपोर्ट प्र. पी. 1 लिखी जानी तथा व्यपहृता के पिता के द्वारा लेखीय आवेदन पत्र प्र.पी. 2 पेश करना जिसके आधार पर प्र.पी. 7 का अपराध क्रमांक 06/2013 धारा 363, 366 भा०दं०वि० का लेखबद्ध करना, व्यपहृता की दस्तयावी का दस्तयावी पंचनामा प्र.पी. 3 तैयार करना और उसे माता-पिता के सुपुर्द कर सुपुर्दगी पंचनामा प्र.पी. 4 तैयार करना बताया है।

15. प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य जो कि अभियोजन को प्रमाणित कराना है वह यह तथ्य है कि क्या घटना के समय व्यपहृता की उम्र 18 साल से कम की होकर वह अप्राप्तव्य थी।

16. व्यपहृता की उम्र के संबंध में अभियोजन के द्वारा उसकी जन्मतिथि बावत् कोई भी जन्म प्रमाणपत्र पेश एवं प्रमाणित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उसके विद्यालय में दाखिले अथवा विद्यालय का कोई भी प्रमाणपत्र आदि भी न तो पेश किया गया है और न ही

प्रमाणित कराया गया है। इस संबंध में अभियोजन के द्वारा व्यपहृता के भाई नवी खॉ के द्वारा पेश करने पर राशनकार्ड जप्त करना बताया है जो कि अभियोजन के द्वारा उसमें व्यपहृता की उम्र का उल्लेख है। इस संबंध में प्रस्तुत उपरोक्त पूरक परिवार-पत्र जो कि डुप्लीकेट होना बताया गया है। उक्त पूरक परिवारपत्र को जो कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोहद की ओर से जारी किया जाना बताया जा रहा है वह किस वर्ष का बना हुआ है एवं कब तथा किस आधार पर उसमें व्यपहृता की उम्र लेख की गई है ऐसा कोई भी आधार नहीं बताया गया है। उक्त राशनकार्ड को न्यायालय के समक्ष विधिवत प्रमाणित भी नहीं किया गया है और न ही उसे आर्टिकल डाला गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि साक्षी रसीद खॉ के द्वारा अपनी उम्र न्यायालय में 57 साल की होनी बताई गई है तथा बरकतवानों के द्वारा 50 वर्ष की होनी बताई गई है, किन्तु उक्त पूरक परिवारपत्र में रसीद खॉ की उम्र 43 साल और बरकतवानों की उम्र 40 उल्लेखित है। ऐसी दशा में उक्त परिवादपत्र में यदि व्यपहृता की उम्र 15 साल उल्लेखित की गई है तो वह घटना के वर्ष की ही उम्र है ऐसा उसके आधार पर कहीं भी मान्य नहीं किया जा सकता। उक्त परिवार पत्र किस वर्ष तैयार किया गया और किस के बताए अनुसार उम्र का उल्लेख किया गया है ऐसा भी कहीं स्पष्ट नहीं है। ऐसी दशा में उक्त पूरक परिवारपत्र के आधार पर व्यपहृता की उम्र का कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता है। व्यपहृता की उम्र के संबंध में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवं इस बिन्दु पर व्यपहृता का ऑसीफिकेशन टैस्ट रिपोर्ट जो कि उसकी उम्र के निर्धारण हेतु कराया गया है वह महत्वपूर्ण हो जाता है।

17. व्यपहृता की उम्र के संबंध में मौखिक साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में उल्लेखनीय है कि गुमइंसान सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 उसकी उम्र 14 वर्ष की होने का उल्लेख है। इस बिन्दु पर व्यपहृता के पिता रसीद खॉ अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि उसकी पुत्री की उम्र घटना के समय 14 साल की थी। इस बिन्दु पर व्यपहृता अ0सा0 2 के द्वारा बताया गया है कि उस समय उसकी उम्र 15 साल की थी, व्यपहृता की माँ बरकत वानो अ0सा0 3 के द्वारा यह बताया गया है कि जब उसकी लडकी गई थी उस समय लडकी की उम्र 16 वर्ष की थी, नवी खॉ जो कि व्यपहृता का भाई है उसके द्वारा व्यपहृता की उम्र उस समय 14 वर्ष की होनी बताई है। अभियोजन साक्षी सत्तार खॉ अ0सा0 5 जो कि व्यपहृता का जीजा है उसके द्वारा उसकी उम्र घटना के समय 17 साल की होनी बताई गई और नूर खॉ अ0सा0 6 जो कि व्यपहृता की बुआ का लडका है के द्वारा घटना के समय व्यपहृता की उम्र 17-18 साल की होनी अपने साक्ष्य कथन में बताया है। इस प्रकार व्यपहृता की उम्र के संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में एक रूपता कहीं नहीं है। व्यपहृता

का पिता ही उसकी उम्र 14 साल बता रहा है और उसकी माँ बरकत वानो उसे 16 साल की घटना के समय बता रही है। इस प्रकार स्वयं उसके माता पिता व निकट रिस्तेदारों के कथनों में ही व्यपहृता की उम्र के संबंध में काफी अंतर आया है। अभियोजन साक्षियों के कथनों में उसकी उम्र 14 से 18 साल के बीच की होनी बताई जा रही है। इस प्रकार मौखिक साक्ष के आधार पर भी व्यपहृता की उम्र के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

18. अब प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि व्यपहृता के दस्तयाव होने के उपरांत उसकी उम्र के संबंध में जाँच कराने हेतु उसका ऑसीफिकेशन टैस्ट कराया गया है। इस संबंध में उसके पिता फरियादी रसीद खाँ के द्वारा लडकी की जाँच होने के तथ्य को स्वीकार किया है तथा उसकी माँ बरकतवानो के द्वारा भी स्पष्ट रूप से प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि उसकी लडकी को उम्र की जाँच कराने हेतु पुलिस वाले भिण्ड अस्पताल ले गए थे और लडकी के साथ उसका पिता भी गया था।

19. उम्र की जाँच के संबंध में ऑसीफिकेशन टैस्ट से संबंधित दस्तावेज एवं रिपोर्ट के संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा रेडियोलॉजिस्ट जिला चिकित्सालय भिण्ड के डॉक्टर आर0के0सिंह बचाव साक्षी क्रमांक 1 के रूप में पेश किया गया है। जिन्होंने कि अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 17.01.2013 को जिला चिकित्सालय भिण्ड में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को सिविल सर्जन डॉक्टर एन.सी.गुप्ता के द्वारा आयु परीक्षण हेतु निर्देशित किया था और उन्होंने व्यपहृता की उम्र की जाँच के संबंध में उसकी दाहिनी कोहनी एवं कलाई का एक्सरे लिया था। एक्सरे परीक्षण में कोहनी के रेडियस अलना वोन के उपरी हिस्से की एपीपायसिस जुड़ी हुई थी जो कि सामान्यतः 18 वर्ष की आयु में जुड़ती है और कलाई की रेडियस और अलना वोन के निचले हिस्से की अपीपायसिस लगभग जुड़ी हुई थी जो कि सामान्यतः 19 वर्ष की आयु में जुड़ती है। अपने अभिमत में उन्होंने बताया है कि उक्त परीक्षण के अनुसार व्यपहृता लगभग 19 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी थी। एक्सरे रिपोर्ट प्र.डी.4(ए) है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के द्वारा बताया गया है कि उम्र की जाँच में एक वर्ष अंदर या ऊपर अंतर हो सकता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि व्यपहृता की उम्र 18 वर्ष से कम होनी पाई थी।

20. इस प्रकार व्यपहृता की उम्र के संबंध में जब कि कोई भी विश्वासयोग्य एवं सम्पुष्टिकारक दस्तावेज प्रमाण नहीं है तथा इस संबंध में मौखिक साक्ष्य भी परस्पर विरोधाभासी है जिससे कि कोई एक तथ्य का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस बिन्दु पर उम्र जाँच के संबंध में उपरोक्त ऑसीफिकेशन टैस्ट ही एक महत्वपूर्ण तथ्य उसकी आयु के निर्धारण हेतु है। उम्र के जाँच के संबंध में किये गये उपरोक्त परीक्षण में स्पष्ट रूप से परीक्षण करने वाले

चिकित्सक के द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि व्यपहृता 19 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुकी थी। इस संबंध में यदि व्यपहृता की उम्र के संबंध में परीक्षण उपरांत एक वर्ष के अंदर या ऊपर के अंतर पर भी विचार किया जाए तो भी यदि व्यपहृता ऑसीफिकेशन टैस्ट के अनुसार 19 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुकी थी तो उसकी उम्र निश्चित तौर से 18 वर्ष से ऊपर की होनी पाई जाती है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में घटना के समय व्यपहृता की उम्र 18 वर्ष से कम होने के तथ्य को अभियोजन उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं करा पाया है।

21. व्यपहृता को आरोपी के द्वारा उसकी विधिपूर्ण संरक्षिता से उसके संरक्षक की सहमति के बिना ले जाना अथवा उसे बहकाकर ले जाने का जहाँ तक प्रश्न है। इस बिन्दु पर व्यपहृता अ0सा0 2 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि आरोपी दशरथ की बहन अनीता उनके घर आई थी और उससे कहा था कि सब्जी लेने चलते हैं तो वह उसके साथ चली गई थी। बस स्टेण्ड पर मार्सल गाडी खड़ी थी जिसमें कि पांच लोग थे। आरोपी दशरथ की दूसरी बहन गुड्डी ने आवाज दी कि तो वह गाडी के पास गई, आरोपी दशरथ गाडी में था उसके मुँह पर रुमाल लगा दिया जिससे वह वेहोश हो गई और उसे मार्सल गाडी में बिठा लिया और बिठालकर आरोपी ले गया। उसे अहमदाबाद में होश आया था और पता चला था कि अहमदाबाद है। अहमदाबाद में किसी मकान में किराए से उसे रखा था जहाँ कि 20 दिन तक रहे थे।

22. इस संबंध में व्यपहृता के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण कंडिका 5 में उसके द्वारा बताया गया है कि उसने पुलिस को वयान देते समय यह बता दिया था कि आरोपी मार्सल गाडी में वेहोश कर के उसे ले गया था यदि उसकी लिखित रिपोर्ट प्र.पी. 2 और उसके पुलिस कथन प्र.डी. 2 में उक्त बात का उल्लेख न हो तो वह कारण नहीं बता सकती। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि व्यपहृता के द्वारा आरोपी को उसे रुमाल लगाकर वेहोश हो जाने तथा मार्सल गाडी में ले जाने के संबंध में उसके द्वारा न तो पुलिस को रिपोर्ट प्र.पी. 2 में कोई तथ्य बताया है और न ही पुलिस को दिए गए कथन प्र.डी. 2 में इस आशय का कोई कथन है, जबकि व्यपहृता के द्वारा यह बताया जा रहा है कि उसने अपने माता पिता को उक्त संबंध में बता दिया था और पुलिस को भी बता दिया था।

23. निश्चित रूप से वर्तमान बिन्दु पर व्यपहृता के द्वारा अपने न्यायालय में हुए कथन में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है जो कि उसके द्वारा तात्विक प्रकार का सुधार अपने साक्ष्य कथन के दौरान किया गया है। इस प्रकार महत्वपूर्ण बिन्दु पर कि आरोपी उसे किस प्रकार से ले गया था, व्यपहृता के द्वारा साक्ष्य कथन के उपरांत महत्वपूर्ण सुधार के परिप्रेक्ष्य में जो विरोधाभास की कोटि में आता है इस बिन्दु पर उसका कथन विश्वास योग्य नहीं माना

जा सकता। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि प्रकरण को अतिरंजित करने के आशय से वह बाद में सोच समझकर इस प्रकार का कथन कर रही है।

24. इस बिन्दु पर अन्य अभियोजन साक्षी रसीद खॉ अ.सा. 1, बरकतवानो अ०सा० 2, नवी खॉ अ०सा० 4, सत्तार खॉ अ०सा० 5 एवं नूरखॉ अ०सा० 6 जो कि व्यपहृता के बताए अनुसार इस बिन्दु पर यह कथन कर है कि व्यपहृता को वेहोश कर के ले जाया गया था। उक्त साक्षी इस बिन्दु के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और ऐसी दशा में इस बिन्दु पर जबकि कथित व्यपहृता के कथन को विश्वास योग्य नहीं पाया गया है उनके कथन के आधार पर यह बिन्दु प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इस संबंध में यह भी महत्वपूर्ण है कि सब्जीमण्डी जो कि बस स्टेण्ड के पास स्थिति होनी बताई जा रही है वहाँ पर सब्जी मण्डी और बस स्टेण्ड पर स्वभाविक रूप से हमेशा भीड़-भाड़ रहती है और विशेषकर दिन के समय यात्री और बाजार खरीदी के लोग रहते हैं ऐसे स्थान पर मार्सल गाडी में बैठाकर व्यपहृता को ले जाना बताया जा रहा है। यह अस्वभाविक लगता है कि इतने भीड़ भाड़ वाले स्थान से इस प्रकार किसी लडकी को ले जाया जाए और आसपास के लोगों को कोई पता न चले। निश्चित तौर से यदि इस प्रकार किसी मार्सल गाडी में या वाहन से उसे बस स्टेण्ड जैसे स्थान से ले जाया जा रहा था तो इस संबंध में स्वतंत्र साक्षी जिनके द्वारा कि उसे देखा गया है उनकी मौजूदगी स्वभाविक है, किन्तु ऐसे किसी साक्षी के कथन जो कि इस तथ्य की सम्पुष्टि कर सके अभियोजन के द्वारा नहीं कराए गए हैं।

25. ऐसी दशा में कथित व्यपहृता के द्वारा न्यायालय के कथन में किया गया महत्वपूर्ण सुधार कि आरोपी दशरथ की बहन उसे सब्जी लेने के लिए ले गई थी और बस स्टेण्ड जहाँ पर सब्जी की दुकान है वहाँ मार्सल गाडी खडी थी और दशरथ की दूसरी बहन गुड्डी के द्वारा आवाज देने पर वह गाडी के पास गई थी तो दशरथ ने उसके मुँह पर रुमाल लगा दिया था जिससे वह वेहोश हो गई थी और वहाँ पर मौजूद लोगों ने उसे मार्सल गाडी में बैठा दिया था जो कि एक नवीन तथ्य न्यायालय में हुए साक्ष्य के दौरान डेबलप किया गया है। इस आधार पर इस प्रकार के महत्वपूर्ण सुधार को स्थगित रखते हुए उसके द्वारा बताया गया है। उपरोक्त कहानी कहीं भी स्वभाविक नहीं लगती है और इस परिप्रेक्ष्य में यह मान्य नहीं किया जा सकता कि आरोपी कथित व्यपहृता को बहकाकर ले गया या उसे किसी प्रवंचनापूर्ण उपायों के द्वारा उसे ले गया हो।

26. यह भी उल्लेखनीय है कि कथित व्यपहृता अपने साक्ष्य कथन में बतायी है कि अहमदाबाद में आरोपी ने उसे किसी किराए के मकान में रखा था और उसमें आरोपी के भाभी और भाई भी रहते थे। उस मकान में वह बीस दिन तक रही थी। प्रतिपरीक्षण कंडिका 6 में

उसके द्वारा बताया गया है कि अहमदाबाद में उसने मकान मालिक या किसी अन्य को घटना के बारे में नहीं बताया था। उक्त तथ्य भी इस बात को दर्शाता है कि कथित व्यपहृता अपनी सहमति के आधार अहमदाबाद में रह रही थी। निश्चित तौर रूप यदि उसे जबरदस्ती उसी इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया होता तो वह अपने मकान मालिक या आसपस के लोगों को इस संबंध में जानकारी दे सकती थी और वहाँ से निकलने का प्रयास कर सकती थी, किन्तु उसके द्वारा कोई भी ऐसा प्रयास किया जाना दर्शित नहीं होता है। प्रकरण में कोई ऐसा भी तथ्य नहीं आया है कि आरोपी के द्वारा व्यपहृता को बंद कर रखा गया हो जिससे कि उसे किसी को बताने का मौका नहीं मिल पाया। इस संबंध में साक्षी नवी खॉ अ0सा0 4 जो कि अहमदाबाद व्यपहृता के पास अपने चाचा के साथ पहुँचना बता रहा है उसके द्वारा अपने साक्ष्य कथन के मुख्य परीक्षण में बताया है कि व्यपहृता के बारे में पता चलने पर पुलिस स्टेशन अहमदाबाद में गया था और वहाँ से पुलिस आई थी और पुलिस ने व्यपहृता को उसके सुपुर्द किया था। इस संबंध में प्रतिपरीक्षण कंडिका 2 में बताया है कि अहमदाबाद में व्यपहृता के संबंध में लिखापट्टी हुई थी, किन्तु इस संबंध में कोई भी दस्तावेज या प्रमाण पेश नहीं है जिससे कि इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि अहमदाबाद में पुलिस को व्यपहृता के घर में बंद होने की कोई सूचना दी गई हो और पुलिस की सहायता से उसे निकाला गया हो। निश्चित तौर से यदि उसके संबंध में कोई लिखापट्टी की गई थी जैसा कि साक्षी नवी खॉ बता रहा है तो इस प्रकार की कोई लिखापट्टी इस बिन्दु पर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकती थी जो कि अभियोजन के द्वारा न तो पेश की गई है और न ही उसे प्रमाणित कराया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में मात्र इस बिन्दु पर साक्षी नवी खॉ अ0सा0 4, सत्तार खॉ अ0सा0 5 व साक्षी नूर खॉ अ0सा0 6 के कथन के परिप्रेक्ष्य में कि क्या अहमदाबाद पुलिस के द्वारा व्यपहृता को मुक्त कराया गया, उक्त तथ्य इस बिन्दु पर किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में पुष्ट होना नहीं माना जा सकता।

27. यदि यह मान भी लिया जाए कि व्यपहृता जो कि अहमदाबाद से उसके भाई व रिस्तेदारों के द्वारा गोहद लाई गई थी और वह अहमदाबाद में आरोपी के साथ रही भी है तो भी प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में व्यपहृता को आरोपी के द्वारा जबरदस्ती ले जाया गया हो अथवा उसे बहकाकर ले जाया गया हो ऐसा कहीं भी प्रमाणित नहीं होता है। निश्चित तौर से अभियोक्त्री जो कि घटना के समय 18 वर्ष से अधिक उम्र की होनी पाई गई है यदि वह आरोपी के साथ गयी भी थी तो प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य एवं प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में यह परिलक्षित होता है कि वह स्वयं ही आरोपी जिसे कि वह पूर्व से जानती पहिचानती है और उसके साथ वह गई थी।

28. धारा 366 भा०दं०वि० का जहाँ तक प्रश्न है जिसमें कि किसी महिला का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उसे विवश करने के आशय से या यह संभाव्य जाते हुए कि उसे अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध किया जाएगा यह प्रमाणित करना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है। वर्तमान प्रकरण में कथित व्यपहृता के द्वारा कहीं भी अपने साक्ष्य कथन में यह नहीं बताया है कि आरोपी उसे विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से या अयुक्त संभोग करने के लिए उसे विवश या विलुब्ध करने हेतु ले गया था। यद्यपि व्यपहृता अ०सा० 2 के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि आरोपी ने उसे ऐसा रखा था जैसे रखैल बनाकर ले जाते हैं। किन्तु इस प्रकार प्रकरण में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं आया है कि आरोपी के द्वारा व्यपहृता के साथ किसी प्रकार से संभोग किया गया हो और संभोग करने का प्रयास किया हो अथवा उसे विवाह करने हेतु कहा गया हो।

29. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती विवेचना विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में व्यपहृता 18 साल से कम उम्र की होनी अर्थात् अप्राप्तव्य होनी नहीं पाई गई है। ऐसी दशा में जबकि उसका व्यपहरण किया जाने के संबंध में आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भा०दं०वि० का अपराध प्रमाणित नहीं है तथा इस परिप्रेक्ष्य में भी उसके विरुद्ध धारा 366 भा०दं०वि० के अंतर्गत अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती।

30. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के पश्चात् अभियोजन का प्रकरण आरोपी के विरुद्ध कदापि युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। संदेह की किसी भी स्थिति का आरोपी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। तदनुसार आरोपी दशरथ माहौर को धारा 363, 366 भा०दं०वि० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड